न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 के तहत

वाद सं0–एम० 96 / 2022

दुर्गा देवी बनाम जितलाल लोहरा वगैरह

तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई
1	2	3
16-07-2022	प्रस्तुत वाद में धारा–107 द० प्र० सं० के थाना प्रभारी सोनाहातु (राहे ओ.पी.) के अप्राथमिकी संख्या–11 / 22 दिनांक 08 / 06 / 2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता–86 प्लॉट–319 एकबा–50 डी॰ में 10 डी॰ जमीन हिस्सा के कारण विवाद है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द० प्र० सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 50,000 / – (पचास हजार) रू0 मात्र का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 06-08-2022 को उपस्थापित करें। 16/07 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू।	

06-08-2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतनामा के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 02, 04, 05, 06, 07 वकालतनामा के साथ उपस्थित। द्वितीय पक्ष के क्रमांक 01 जितलाल खोहरा की जगह टंकण भूल के कारण जितवाहन खोहरा पूर्व निर्गत नोटिस मे हो गया था। जिसे संशोधित कर पुन: नोटिस निर्गत किया गया। दिनांक 29-08-2022 को रखें। साथ ही वाद की कार्यवाही को न्यायालय, कार्यपालक दण्डाधिकारी, कुण्डू के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

06/08

अनु० दण्डा०,
कुण्डू।

29-08-2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 02, 04, 05, 06, 07 उपस्थित एवं क्रमांक 01, 03 वकालतनामा के साथ हाजरी। उभय पक्ष दिनांक 19-09-2022 को जवाब दाखिल करें।

29.08

कार्य० दण्डा०,
कुण्डू।

19-09-2022 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 02, 03, 04, 05, 06, 07 उपस्थित एवं अन्य अनुपस्थित। उभय पक्ष के द्वारा संयुक्त रूप सुलहनामा आवेदन दिया गया है। आवेदन में उल्लेख किये हैं कि ग्राम के गणमान्य

सं० 563
No.-563

क्रमांक / तिथि No./Date	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Magistrate	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date
	व्यक्तियों के सलाह मशाविरा से उभय पक्ष आपस में सुलह कर लिये हैं। साथ ही उभय पक्ष ये विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में ये आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे एवं शांति व्यवस्था बनाये रखेंगे। एवं द्वितीय पक्ष गण प्रथम पक्ष के साथ किसी भी प्रकार का लड़ाई नहीं करेंगे। सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत कर वाद को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतः उभय पक्ष के संयुक्त रुप से दिया गया सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत करते हुए अभिलेख की कार्यवाही को समाप्त की जाती है। ह० 19.09. कार्य० दण्डा० कुण्डू।	

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2023.03.15 16:49:30 +05:30
Location: 10.93.79.5